संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस प्रकाशनी

1. संसद का मानसून सत्र, 2021, जो सोमवार, 19 जुलाई, 2021 से आरंभ हुआ था, बुधवार, 11 अगस्त, 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 24 दिनों की अवधि में कुल 17 बैठकें हुई।

2. सत्र की मूल रूप से 19 जुलाई से 13 अगस्त, 2021 तक 19 बैठकें होनी थी परंतु सदनों में निरंतर व्यवधान और अत्यावश्यक सरकारी कार्य के पूरा हो जाने के कारण इसे छोटा कर दिया गया।

3. इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 22 विधेयक पारित किए गए जिनमें वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों से संबंधित दो विनियोग विधेयक शामिल हैं जिन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा राज्य सभा को भेजा गया था और जिन्हें अनुच्छेद 109(5) के अंतर्गत पारित किया हुआ माना जाएगा। **इन सभी 22 विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।**

4. मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए चार अध्यादेशों अर्थात अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग अध्यादेश, 2021 और आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 के प्रतिस्थापक विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।

5. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्न प्रकार हैं:-

क. <u>आर्थिक क्षेत्र/व्यापार करने में आसानी के उपाय</u>:

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 उपबंध करता है कि यदि लेनदेन 28 मई, 2012 से पहले किया गया है तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं उठाई जाएगी ।

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी का उपबंध करता है और बीमा निवेश और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाता है और पॉलिसी धारकों के हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित करता है और अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में योगदान देता है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के धन तक आसान और समयबद्ध पहुंच को सक्षम बनाता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भले ही कोई बैंक अस्थायी रूप से उस पर लगाए गए अधिस्थगन जैसे प्रतिबंधों के कारण अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो, जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं।

सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021 कुछ अपराधों को दीवानी चूक में परिवर्तित करता है और इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति को भी परिवर्तित करता है। यह छोटे एलएलपी को भी परिभाषित करता है, कुछ निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति और विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है।

फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 विशेष रूप से व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से मदद करना चाहता है। कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में वृद्धि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है।

ख. <u>परिवहन क्षेत्र सुधार</u>:

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 भारत में नौवहन हेतु सहायता के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उपबंध करना; नेविगेशन हेतु सहायता ऑपरेटर के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए, इसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास; समुद्री संधियों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के तहत दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।

अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देता है, देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग और नेविगेशन से संबंधित कानून के अनुप्रयोग में एकरूपता लाने के लिए, नेविगेशन की सुरक्षा, जीवन और कार्गो की सुरक्षा, और अंतर्देशीय जहाजों के उपयोग या नेविगेशन से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम, अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण, मैनिंग, नेविगेशन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 "महापत्तन" की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ताकि हवाई अड्डों के एक समूह के लिए भी टैरिफ निर्धारित करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया जा सके, जिससे छोटे हवाई अड्डों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

ग. <u>शैक्षिक सुधार</u>:

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है और खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन में अनुदेशों और अनुसंधान का उपबंध करता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में "सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना और अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करने की मांग करता है।

घ. <u>सामाजिक न्याय सुधार</u>:

संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची / केंद्र शासित प्रदेश सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 उपबंध करता है कि अदालत के बजाय, जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) गोद लेने के आदेश जारी करेगा। विधेयक में कहा गया है कि गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए अधिकतम सजा सात साल से अधिक की कैद है और न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है या सात साल से कम है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए।

6. राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत "कोविड-19 महामारी का प्रबंधन, टीकाकरण नीति का कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर की चुनौतियां" और "कृषि संबंधी समस्याएं और समाधान" (अनिर्णीत) विषयों पर दो अल्पावधि चर्चाएं हुई।

7. इसके अलावा, एक विधेयक अर्थात "अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021" और एक पुराना लंबित विधेयक अर्थात "स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012" को क्रमश: लोक सभा और राज्य सभा में वापस लिया गया।

अनुबंध

17वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 254वें सत्र (मानसून सत्र, 2021) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I – संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए 22 विधेयक

1. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021
2. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
4. फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021
5. अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021
6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
7. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
8. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021
10. आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
11. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
12. निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
13. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
14. अधिकरण सुधार विधेयक, 2021
15. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021
16. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
17. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021
18. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
19. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
20. संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021
21. *विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2021
22. *विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021

II- वापस लिए गए 2 पुराने विधेयक

1. अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक, 2021
2. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012

* लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में राज्य सभा को उसकी सिफारिश हेतु भेजे गए दो विधेयकों को राज्य सभा में उनकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को लौटाए जाने की संभावना नहीं है। इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ माना जाएगा जिस रूप में उन्हें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

***